न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 627 / 2023

अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. हुकमा राम पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. सुनिल कुमार पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. शादरा पुत्री स्व0 रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. ममता पुत्री स्व0 रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. सरला पुत्री स्व0 रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. सुनीता पुत्री स्व0 रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
7. धापा पुत्री स्व0 रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 6/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 303 / 279 की कुल 4.0600 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 5 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 105 / 105 की कुल 4.5220 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि रामस्वरूप पुत्र मालाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामस्वरूप पुत्र मालाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का पिता है रामस्वरूप पुत्र मालाराम का देहान्त हो चुका है रामस्वरूप पुत्र मालाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 है जो रामस्वरूप पुत्र मालाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक व हिस्सा अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 जो कि वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 की बहिन है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 की शादी हो चुकी है तथा उक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 हक व हिस्सा नही लेना चाहती है [illegible] हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष में [illegible] त्याग वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब काबिज है [illegible] राजस्व रिकार्ड में [illegible] रामस्वरूप पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:38:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मालाराम का नाम कलमजन करवाकर उपरोक्तानुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की रामस्वरूप पुत्र मालाराम जो की वादी का पिता है के नाम दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामस्वरूप पुत्र मालाराम के नाम दर्ज है जो वादी का पिता है रामस्वरूप पुत्र मालाराम का देहान्त हो चुका है रामस्वरूप पुत्र मालाराम के जायज वारिस सजारा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 है जो की रामस्वरूप पुत्र मालाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीया संख्या 3 ता 7 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष मे त्याग कर दिया है इसलिए वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी स0 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जवाब शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य 5 आरएमजी खाता संख्या 105/105 सम्वत 2073-2076 प्रदर्श-1, जमाबंदी रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 303/279 सम्वत 2073-2076 प्रदर्श-2, मृत्यु प्रमाण पत्र रामस्वरूप प्रदर्श-3, मृत्यु प्रमाण पत्र विद्या प्रदर्श-4, वारिसानामा/सदस्य प्रमाण पत्र ग्रा0प0 बडबिराना प्रदर्श-5 आदि दस्तावेज प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:21 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्ष [illegible] वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त [illegible] कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के रामस्वरूप पुत्र [illegible] है रामस्वरूप पुत्र मालाराम का देहान्त हो चुका है रामस्वरूप पुत्र मालाराम के जायज वारिसान सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 है। प्रतिवादीगया संख्या 3 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के वाद के संबंध में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 द्वारा इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है अतः वादी का वाद डिक्री फरमावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 303/279 की कुल 4.0600 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 5 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 105/105 की कुल 4.5220 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि रामस्वरूप पुत्र मालाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान में वादी के पिता के रामस्वरूप पुत्र मालाराम नाम दर्ज है रामस्वरूप पुत्र मालाराम का देहान्त हो चुका है रामस्वरूप पुत्र मालाराम के जायज वारिसान सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 है। प्रतिवादीगया संख्या 3 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब हक हिस्सा है वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–5 सरपंच ग्राम पंचायत बडबिराना द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक रामस्वरूप पुत्र मालारा के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:21 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 303/279 की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कुल 4.0600 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 5 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 105/105 की कुल 4.5220 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि रामस्वरूप पुत्र म"लाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनो खातों में रामस्वरूप पुत्र मालाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 6/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:21 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 627/2023

अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. हुकमा राम पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. सुनिल कुमार पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. शादरा पुत्री स्व0 रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. ममता पुत्री स्व0 रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. सरला पुत्री स्व0 रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. सुनीता पुत्री स्व0 रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
7. धापा पुत्री स्व0 रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 627 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 303/279 की कुल 4.0600 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 5 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 105/105 की कुल 4.5220 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि रामस्वरूप पुत्र मालाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनो खातों में रामस्वरूप पुत्र मालाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:21 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर